Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एल आर/73/2005/भीलवाडा **बालमुकन्द के का.मु.अनिल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य**	

05-3-18

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार उप राजकीय, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 5–10–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलेक्टर भीलवाडा ने अपने आदेश दिनांक 16–5–98 के द्वारा बिला नाम आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 2–07हेक्टर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक भवनों के प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 5–10–04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पिता नाथूराम को ग्राम बडेसरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 544 की 18बीघा 15विस्वा भूमि दिनांक 27–7–69 को मुकाम दौलतपुरा में आवंटन की गई थी जिसका कब्जा भी अपीलार्थी के पिता को दिया जाकर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज की गई। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1016 की है जिसको जिला कलेक्टर भीलवाडा द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये अपने आदेश दिनांक 16–5–98 के द्वारा धारा 92 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/73/2005/भीलवाडा** **बालमुकन्द के का.मु.अनिल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करने के आदेश पारित कर दिये। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जब कोई भूमि आवंटन की जाती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निरस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात करना राजस्व कर्मचारियों का कर्तव्य होता है। इसके लिये अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी, आंवटन आदेश व कब्जा काश्त हेतु सभी प्रमाण प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु उनका अवलोकन न कर खसरा मिलान का गलत अर्थ लगाकर भूमि को सेट अपार्ट कर विधिक त्रुटि की है। खसरा मिलान से भी यह स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नम्बर 544 के नवीन खसरा नम्बर 1016 रकबा 18 बीघा 15 विस्वा अंकित किया गया है जो करीब 2–07 हेक्टर भूमि है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य हैं।

5– बहस के खण्डन में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है कि उक्त आराजी का नामान्तरकरण उसके नाम खुला हो। वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिसको जिला कलेक्टर द्वारा विधि अनुसार सेट अपार्ट करने के आदेश पारित किये हैं।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने दिनांक 27–7–69 के आवंटन आदेश की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें साबिक आराजी खसरा नम्बर 544 में से 5बीघा रकबा गैर खातेदार हकूक पर अपीलार्थी के पिता नाथूराम को आवंटन करने का उल्लेख है। अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो कि आवंटित आराजी खसरा नम्बर 544बाबत उसके नाम का कोई नामान्तरकरण खुला हो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/73/2005/भीलवाडा** **बालमुकन्द के का.मु.अनिल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

और राजस्व रेकार्ड में बहैसियत गैर खातेदार अंकन किया गया हो। दूसरा विचारणीय बिन्दु यह है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 544 के हाल खसरा नम्बर 1016 बने हैं अथवा 1016/1236बने हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने जो मिलान क्षेत्रफल पेश किया है उसमें हाल आराजी खसरा नम्बर 1016 का उल्लेख है, हाल आराजी खसरा नम्बर 1016/1236 बाबत किसी प्रकार का प्रमाण पेश नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1016 एवं 1016/1236 दो अलग अलग खसरा नम्बर हैं। अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 1016/1236 के बाबत कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर के आक्षेपित आदेश को बहाल रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हम द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य